61

[2022] 12 एस. सी. आर 61

ए.

भारत की फार्मेसी परिषद बनाम.

राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स। (2022 की सिविल अपील संख्या 6681)

15 सितंबर, 2022

बी.

[बी**.** आर**.** गवई और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान-अनुच्छेद 19 (1) (जी)-एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार-कार्यकारी निर्देशों द्वारा उस पर लगाए गए उचित प्रतिबंध-संकल्प/संचार के माध्यम से इसकी अनिवार्यता।19, अपीलार्थी-पी. सी. आई. ने एक अन्य प्रस्ताव/संचार dtd.09.09 के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक लगाने का संकल्प लिया।19, उपरोक्त अधिस्थगन को संशोधित करते हुए उसके आवेदन को छूट दी गई जैसा कि उसमें संकेत दिया गया है-उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित याचिकाएं-कर्नाटक, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों के समक्ष उपरोक्त प्रस्तावों/संचार को चुनौती देने वाले संस्थानों को अनुमति दी गई थी-अपील पर कहा गया:एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत एक मौलिक अधिकार है और ऐसे अधिकार पर उचित प्रतिबंध केवल एक कानून द्वारा लगाया जा सकता है न कि एक कार्यकारी निर्देश द्वारा-वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के प्रस्ताव/संचार, जो कार्यकारी निर्देशों की प्रकृति में हैं, अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं और इस आधार पर निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं-कर्नाटक, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून की सही स्थिति को निर्धारित करता है-फार्मेसी अधिनियम, 1948-एस. एस.10,18.

सी.

डी.

ई.

एफ.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** तीनों उच्च न्यायालयों**,** अर्थात कर्नाटक**,** दिल्ली और छत्तीसगढ़ ने प्रत्यर्थी**-**संस्थानों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए और अपीलार्थी**-**पी**.** सी**.** आई**.** की केंद्रीय परिषद के प्रस्तावों**/**संचारों को रद्द करते हुए संक्षेप में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है**:(i)** कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद **19 (1) (**जी**)** के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है**;**

जी.

एच.

61 ए.

62 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

((ii) कि ऐसे अधिकार पर उचित प्रतिबंध हो सकते हैं।हालाँकि**,** ऐसा प्रतिबंध केवल सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा लगाया जा सकता है**; (iii) 17** जुलाई **2019** का प्रस्ताव**/**संचार**,** जिसके अनुसार स्थगन लगाया गया था**,** एक कार्यकारी निर्देश है और इसे एक कानून के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए**,** एक कार्यकारी निर्देश द्वारा लगाया गया स्थगन कानून में टिकाऊ नहीं है।इसके अलावा**,** कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे पाया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता प्रतिज्ञात्मक बहिष्कार और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों पर महाविद्यालय स्थापित करने के हकदार थे।कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ**-**साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी माना है कि अपीलकर्ता**-**पी**.** सी**.** आई**.** का प्रस्ताव भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** का उल्लंघन था क्योंकि सरकारी संस्थानों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्थानों को स्थगन की प्रयोज्यता से छूट दी गई थी।यह पाया गया कि इस तरह का कार्य भेदभावपूर्ण था। यह भी पाया गया कि प्रति राज्य **50** दवा संस्थानों की सीमा भी मनमाना थी क्योंकि अपीलकर्ता**-**पी**.** सी**.** आई**.** इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि राज्यों की जनसंख्या राज्य से राज्य में भिन्न होती है और इस प्रकार**,** प्रत्येक राज्य के लिए **50** दवा संस्थानों की सीमा निर्धारित करने का एक समान सूत्र नहीं हो सकता था।**[**पारस **28,29] [75-**सी**-**एच**; 76-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

1.2 उक्त प्रस्ताव के माध्यम से**,** केंद्रीय परिषद ने शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले पांच साल की अवधि के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ**-**साथ डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए नए

फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक लगाने का संकल्प लिया।**5** और **6** अगस्त **2019** को आयोजित अपीलार्थी**-**पी**.** सी**.** आई**.** की केंद्रीय परिषद की **107** वीं बैठक में **17** जुलाई **2019** के उक्त प्रस्ताव को संशोधित किया गया था।यह स्पष्ट है**,** और पूरी निष्पक्षता में**,** अपीलार्थी**-**पी**.** सी**.** आई**.** द्वारा भी विवादित नहीं है**,** कि अधिस्थगन अपीलार्थी**-**पी**.** सी**.** आई**.** की केंद्रीय परिषद द्वारा अपनी कार्यकारी शक्तियों में जारी किया गया था**,** न कि किसी विनियमन को तैयार करके**,** जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा **10** और **18** के तहत प्रदान किया गया है। इसलिए**,** जिस विवादास्पद प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है**,** वह यह है कि क्या अपीलार्थी**-**पी**.** सी**.** आई**.** की केंद्रीय परिषद द्वारा लगाई गई रोक**,** उक्त प्रस्ताव द्वारा लगाई जा सकती थी**,** जो केंद्रीय परिषद के कार्यकारी निर्देश की प्रकृति में है।**[**पारस **31-33] [76-D-E; 77-C-D] A**

एफ.

जी.

एच.

63

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स।

1.3 टी**.** एम**.** ए**.** पाई फाउंडेशन के मामले में इस न्यायालय के **11** न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद **19 (1) (**जी**)** और अनुच्छेद **26** को देखते हुए सभी नागरिकों और धार्मिक संप्रदायों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार प्रदान किया गया है।इस्लामी शिक्षा अकादमी की संविधान पीठ का मानना है कि राज्य को शिक्षा के स्तर में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद **19 (1) (**जी**)** और अनुच्छेद **30** दोनों के संदर्भ में प्रतिबंध लगाने और विनियम बनाने का अधिकार होगा।यह माना गया है कि व्यवस्थित**,** कुशल और सुदृढ़ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपाय आवश्यक हैं।पी**.** ए**.** इनामदार में इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फिर से दोहराया है कि शिक्षा प्रदान करने का अधिकार अनुच्छेद **19 (1) (**जी**)** के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसलिए**,** अनुच्छेद **19** के खंड **(6)** द्वारा नियंत्रण के अधीन है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा अधिकार आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के अधीन है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय**,** व्यापार या व्यवसाय को करने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता निर्धारित करने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं।कानून राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व वाले या नियंत्रित किसी निगम द्वारा किसी भी व्यापार**,** व्यवसाय**,** उद्योग या सेवा को चलाने के उद्देश्यों के लिए भी अधिनियमित किए जा सकते हैं**,** चाहे वह नागरिकों के पूर्ण या आंशिक बहिष्कार के लिए हो या

बी.

सी.

डी.

ई.

अन्यथा।मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च के मामले में

केंद्र, इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि हालांकि निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, लेकिन जनहित को संतुलित करने के लिए, राज्य को आम जनता के हित में विनियम बनाने का भी अधिकार है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आम जनता के हित में लाए जाने वाले उचित प्रतिबंधों के दायरे पर विचार करते हुए, जो अभ्यास किया जाना आवश्यक है, वह एक ओर व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने के मौलिक अधिकारों और दूसरी ओर इस तरह लगाए गए प्रतिबंधों का संतुलन है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह पता लगाना आवश्यक था कि इस प्रकार लगाए गए प्रतिबंध आनुपातिक थे या नहीं।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रावधानों के अधीन हो सकता है।

एफ.

जी.

एच.

64 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

ए.

प्रतिबंध, जो आम जनहित में आवश्यक पाए जाते हैं।हालांकि, जिस सवाल का जवाब देने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या ऐसा कार्यकारी निर्देशों द्वारा किया जा सकता है या नहीं। **[**पारस **35,37,39-41] [77-G-H; 78-E-F; 79-C-H]**

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

और अन्य (2002) 8 एससीसी 481:[2002] 3 पूरक।एससीआर

बी.

587; इस्लामी शिक्षा अकादमी और एक अन्य बनाम राज्य

कर्नाटक (2003) 6 एस. सी. सी. 697:[2003] 2 पूरक।एससीआर

474; पी. ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य

और अन्य (2005) 6 एस. सी. सी. 537:[2005] 2 पूरक।एससीआर

603; आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य **(2016)**

सी.

7 एससीसी **353:[2016] 3** एस**.** सी**.** आर**. 579-**अनुसरण किया गया।

1.4 पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ

एम**.** पी**.** बनाम राज्य के मामले में यह न्यायालयठाकुर भरत सिंह

यह अभिनिर्धारित करता है कि राज्य या उसके अधिकारी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अपने कार्यकारी अधिकार का प्रयोग केवल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि राज्य के विधानमंडल के पास उस विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जिस पर कार्यकारी आदेश जारी किया जाता है।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संविधान पीठ का मानना है कि एक कार्यपालिका भी कार्यकारी कार्रवाई द्वारा नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए कुछ नहीं कर सकती है**,** हालांकि राज्य विधानमंडल के पास इस विषय पर कानून बनाने की विधायी क्षमता है।**[**पारस **47,48] [81-**सी**-**डी**]**

डी.

ई.

एम**.** पी**.** बनाम राज्यठाकुर भरत सिंह **(1967) 2** एससीआर

454 – पीछा किया।

श्रीमती हीरा देवी और अन्य बनाम जिला बोर्ड,

एफ.

शाहजहांपुर (1952) एस. सी. आर. 1122-पर निर्भर था।

1.5 चूंकि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद **19 (1) (**जी**)** के तहत एक मौलिक अधिकार है और इस तरह के अधिकार पर उचित प्रतिबंध केवल एक कानून द्वारा लगाया जा सकता है न कि निष्पादन निर्देश द्वारा**,** बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा**,**

जी.

औरंगाबाद बेंच**,** सयाली चैरिटेबल ट्रस्ट के कॉलेज में

फार्मेसी मामला कानून की सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है।कर्नाटक, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून की सही स्थिति निर्धारित करता है।इस ए के बाद से

एच.

65

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स।

न्यायालय ने माना है कि अपीलकर्ता-पी. सी. आई. की केंद्रीय परिषद के **17** जुलाई **2019** और **9** सितंबर **2019** के प्रस्ताव/संचार, जो कार्यकारी निर्देशों की प्रकृति में हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद **19 (1) (**जी**)** के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, अन्य मुद्दों पर अग्रिम प्रस्तुतियों पर विचार करना आवश्यक नहीं पाया गया है।अपीलार्थी-पी. सी. आई. की केंद्रीय परिषद के **17** जुलाई, **2019** और **9** सितंबर, **2019** के प्रस्तावों/संचारों को इस संक्षिप्त आधार पर निरस्त किया जा सकता है।**[**पारस **54,55] [84-**ए-डी**]**

बी.

सयाली चैरिटेबल ट्रस्ट का कॉलेज ऑफ फार्मेसी बनाम द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जजमेंट dtd.06.11।2020

सी.

बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि यह सही कानून नहीं है।

1.6 वास्तव में कुछ प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता हो सकती है ताकि फार्मेसी कॉलेजों के बढ़ते विकास को रोका जा सके।इस तरह के प्रतिबंध व्यापक सार्वजनिक हित में हो सकते हैं। हालांकि, अगर ऐसा करना है, तो इसे कानून के अनुसार सख्ती से करना होगा।यदि और जब ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उनकी वैधता की हमेशा कानून की कसौटी पर जांच की जा सकती है।इसलिए यह न्यायालय उस ओर से की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने से बचता है।डी. फार्म और बी. फार्म पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन की मांग करने वाले आवेदनों के साथ राज्य सरकार से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" **(**"एनओसी"**)** और संबद्ध निकायों से संबद्धता की सहमति होनी चाहिए।ऐसे आवेदनों की जांच करते समय, परिषद ऐसे आवेदनों को अनुमति देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले हमेशा विभिन्न कारकों पर विचार कर सकती है।केवल इसलिए कि किसी संस्थान को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए।किसी विशेष क्षेत्र में, यदि पहले से ही पर्याप्त संख्या में संस्थान मौजूद हैं, तो केंद्रीय परिषद हमेशा इस बात पर विचार कर सकती है कि ऐसे क्षेत्र में संस्थानों की

संख्या बढ़ाना आवश्यक है या नहीं।हालांकि**,** एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा फार्मेसी कॉलेजों की स्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।**[**पारस **56,57] [84-**ई**-**एच**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

66 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

ए.

1.7 नतीजतन**,** भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। संस्थानों द्वारा दायर रिट याचिकाओं का उपरोक्त संदर्भों में निपटारा किया जाएगा।**[**पारस **58,59] [85-**बी**]**

2. 2022 की विशेष छूट याचिका **(**नागरिक**) NO.1887** से बाहर नागरिक अपील **[**शाहीद तेग बहादुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी बनाम भारत की फार्मेसी परिषद**]**

बी.

2021 की विशेष अनुमति याचिका **(**सिविल**) No.19671** और संबंधित मामलों से उत्पन्न सिविल अपील में इस न्यायालय द्वारा आज पारित निर्णय को देखते हुए**,** इस अपील को निष्फल बना दिया गया है और इस तरह से निपटाया गया है।**[**पैरा **62] [85-**ई**]**

सी.

जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव बनाम संगम लक्ष्मी बाई विद्यापीठ और अन्य (2019) 17

एससीसी 729:[2018] 14 एससीआर 103; जिज्ञासा यादव (माइनर)

(संरक्षक/पिता हरि सिंह के माध्यम से) बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य (2021) 7 एस. सी. सी. 535

डी.

:2021 (6) जेटी **177-**प्रतिष्ठित।

स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और अन्य (2019) 2 एस. सी. सी. 104:

[2018] 14 एस**.** सी**.** आर**. 128-**लागू नहीं होता है।

ई.

बिहार राज्य और अन्य बनाम परियोजना उच्च विद्या,

शिक्षक संघ और अन्य (2006) 2 एस. सी. सी. 545:[2006]

1 एस**.** सी**.** आर**. 14;** वी**.** टी**.** खानजोदे और अन्य बनाम रिजर्व बैंक

भारत और एक अन्य (1982) 2 एस. सी. सी. 7:[1982] 3 एस. सी. आर. 411-पर निर्भर।

एफ.

मध्य भारत कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड बनामसंघ का

भारत और एक अन्य आकाशवाणी 1954 एससी 634; आधुनिक विद्यालय

बनाम भारत संघ और अन्य **(2004) 5** एस**.** सी**.** सी**. 583:[2004] 1** पूरक। एससीआर **668;** पदुबिद्री दामोदर शेनॉय बनाम इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और एक अन्य **(2009) 10** एससीसी

जी.

514 :[2009] 14 एससीआर 356; विजय एस. साथाये बनाम इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और अन्य (2013) 10 एससीसी 253:[2013]

10 एस**.** सी**.** आर**. 73;** सूचकांक चिकित्सा महाविद्यालय**,** अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

2021 एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 318-**संदर्भित।

एच.

67

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स।

ए.

संदर्भित निर्णय

[2018] 14 एस**.** सी**.** आर**. 128** लागू नहीं होने वाला पैरा **9 [2018] 14** एस**.** सी**.** आर**. 103** विशिष्ट पैरा **11 [2002] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 587** ने पैरा **13 [2003] 2** सप्लीमेंट का अनुसरण किया।एस**.** सी**.** आर**. 474** ने पैरा **13 [2005] 2**

सप्लीमेंट का अनुसरण किया।एस**.** सी**.** आर**. 603** ने पैरा **13 [1982] 3** एस**.** सी**.** आर**. 411** का अनुसरण किया

बी.

पर भरोसा किया गया |

पैरा **20**

[2004] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 668** पैरा **21 [2009] 14** एस**.** सी**.** आर**. 356** पैरा **22 [2013] 10** एस**.** सी**.** आर**. 73**

सी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

[2016] 3 एससीआर **579**

पीछा किया।

पैरा **26**

[2006] 1 एससीआर **14**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **42**

डी.

नागरिक अपील/मूल न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 6681।

2020 के डब्ल्यू. ए. No.746 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.11.2021 के निर्णय और आदेशों से।

ई.

के साथ

2022 की सिविल अपील संख्या 6682-6683,2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 564,565, सिविल अपील संख्या 6684-6685,6686,6687,6688,6690,6689,2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 406,2022 की सिविल अपील संख्या 6691,2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 563।

एफ.

मनिंदर सिंह, विनय नवारे, एस. एन. भट, राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्तागण , गौरव शर्मा, कीर्तिमान सिंह, वाइज़ अली नूर, सुश्री मनमीत कौर सरीन, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, सुश्री श्रीरुपा नाग, प्रभास बजाज, मृगांक प्रभाकर, जोहेब हुसैन, पाई अमित, अश्विन कुमार डी. एस., राजेश इनामदार, ओमकार कांबी, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, सूरज नाइक, अभियुदय वत्स, रोहित आर. साबू, सम्राट कृष्णराव शिंदे, सिद्धार्थ आर. गुप्ता, सुश्री साक्षी बंगा, मृगांक प्रभाकर, सुश्री प्रियंका सिंह, आर. के. रुहिल, अनिल कुमार, शुभ्रांशु पाधी, विशाल बंशल, सुश्री राजेश्वरी शंकर, नीरोप।

जी.

एच.

ए.

चंद्रशेखर सिंह, विवेक सिंह, सी. पी. राजवर, अभिषेक चटर्जी, चंद्र प्रकाश, अभिनव सिंह, सुश्री सुमन रानी, अमितेश कुमार, सुश्री बिनिसा मोहंती, सुश्री प्रीति कुमारी, आर्य त्रिपाठी, मृत्युंजय कुमार सिन्हा, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, रोहित बंसल, कमलेश कुमार मौर्य कौशल यादव, नंदलाल कुमार मिश्रा, शफीक अहमद, दीपक कुमार, जीशान अंजुम, गौरव कुमार अग्रवाल, राणा प्रताप, परमानंद गौर, सुश्री बीना एस. पटनायक, हितेश कुमार शर्मा, अखिलेश्वर झा, ए. के. शर्मा, साहिल अमरनाथ, विक्रांत वाई. एस. नरूला, आयुष मित्तल, अधिवक्तागण मित्तलउपस्थित दलों के लिए।

बी.

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. सभी विशेष अवकाश याचिकाओं में अनुमति दी जाती है।

डी.

2. भारतीय फार्मेसी परिषद (इसके बाद "पीसीआई" के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर अपील मुख्य रूप से (i) 9 नवंबर 2021 के फैसलों को चुनौती देती है, जो बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा रिट अपील संख्या में पारित किए गए थे। 2020 का 746-748;

(ii) 2021 की लिखित याचिका (सिविल) No.175 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 7 मार्च 2022 का निर्णय; और (iii) 22 अप्रैल 2022 का निर्णय, 2021 की लिखित याचिका (सिविल) No.3766 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विद्वान गया।इन मामलों के लंबित रहने के दौरान इन न्यायालयों द्वारा पारित कई अंतरिम आदेश भी कुछ अपीलों में चुनौती के अधीन हैं। वर्तमान निर्णय द्वारा उनका भी निपटारा किया जा रहा है।3. उक्त निर्णयों और आदेशों द्वारा, कर्नाटक, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के उपरोक्त तीन उच्च न्यायालयों ने प्रत्यर्थियों-संस्थानों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी थी, जो बदले में, अपीलकर्ता-पी. सी. आई. के 17 जुलाई 2019 और 9 सितंबर 2019 के प्रस्तावों/संचार को चुनौती देते हुए दायर की गई थीं और पी. सी. आई. द्वारा दायर रिट अपीलों को खारिज कर दिया था। 17 जुलाई 2019 के प्रस्ताव/संचार के माध्यम से, अपीलकर्ता-पी. सी. आई. ने शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ-साथ डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक लगाने का संकल्प लिया था।9 सितंबर 2019 के संकल्प/संचार के माध्यम से, ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

69

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

उपरोक्त अधिस्थगन को संशोधित किया गया, जिससे (i) सरकारी संस्थानों; (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में संस्थानों; और (iii) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इसके आवेदन से छूट दी गई, जहां डी. फार्म और बी. फार्म पाठ्यक्रमों (दोनों संयुक्त रूप से) की पेशकश करने वाले संस्थानों की संख्या 50 से कम है।इसके अतिरिक्त, 9 सितंबर 2019 के उक्त प्रस्ताव/संचार के अनुसार, जिन संस्थानों ने शैक्षणिक सत्र के लिए आईडी1 और/या बी. फार्म पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले कॉलेज खोलने के लिए आवेदन किया था, उन्हें शैक्षणिक सत्र आईडी3 में डिप्लोमा के साथ-साथ डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी और मौजूदा अनुमोदित फार्मेसी संस्थानों को पीसीआई मानदंडों के अनुसार प्रवेश क्षमता बढ़ाने और/या अतिरिक्त फार्मेसी पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रम) शुरू करने की अनुमति दी गई थी।

बी.

सी.

4. तीन उच्च न्यायालयों के समक्ष संस्थानों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में उक्त अधिस्थगन की वैधता को चुनौती दी गई और यह भी अनुरोध किया गया कि अपीलकर्ता-पी. सी. आई. को फरवरी 2020 में पी. सी. आई. द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए फार्मेसी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले नए फार्मेसी संस्थान खोलने के लिए मंजूरी देने के लिए निर्देश जारी किया जाए और पी. सी. आई. के 3 जुलाई 2022 के परिपत्र के अनुसार संस्थानों से नए आवेदनों पर जोर न दिया जाए, जो इस न्यायालय के 31 मई 2022 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में जारी किया गया था, जिसे 2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) में पारित किया गया था।

डी.

5. हमने प्रत्यर्थी (गण) सी. आई. की ओर से पेश हुए विद्वान विद्वान अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह और विद्वान विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी और श्री विनय नवारे, श्री अमित पई, श्री संजय शरावत, श्री सिद्धार्थ आर. गुप्ता और श्री शिवम सिंह को सुना है।

ई.

6. श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालयों ने अपीलार्थी-पी. सी. आई. द्वारा पारित 17 जुलाई 2019 के प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने में पूरी तरह से गलती की है। वे प्रस्तुत करते हैं कि फार्मेसी अधिनियम, 1948 (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित विद्वान गया है) की धारा 3,10 और 12 सहपठित प्रस्तावना के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि अपीलार्थी-पी. सी. आई. के पास फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में विनियमन करने की शक्ति है।वह प्रस्तुत करता है कि विनियमन की शक्ति में एक निश्चित अवधि के लिए स्थगन लगाने की शक्ति भी शामिल होगी।विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के अवलोकन से पता चलेगा कि पीसीआई की केंद्रीय परिषद में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ("यूजीसी") द्वारा चुने गए फार्मेसी से संबंधित विषय के शिक्षक, फार्मेसी या फार्मास्युटिकल में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले और अभ्यास करने वाले व्यक्ति शामिल हैं।

एफ.

जी.

एच.

रसायन विज्ञान, केंद्र सरकार द्वारा नामित; भारतीय चिकित्सा परिषद का एक प्रतिनिधि; राज्य परिषद के सदस्यों से चुने गए राज्यों के प्रतिनिधि, साथ ही राज्य सरकार द्वारा नामित प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा।इसलिए वह प्रस्तुत करते हैं कि निकाय, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के कई विशेषज्ञ शामिल हैं, एक ऐसा निकाय है जो फार्मेसी शिक्षा के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने में सक्षम है।

बी.

7. श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक उप-समिति नियुक्त किए जाने के बाद अपीलार्थी-पी. सी. आई. द्वारा निर्णय लिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उप-समिति द्वारा फार्मेसी कॉलेजों के बढ़ते विकास को देखते हुए स्थगन की सिफारिश के बाद, अपीलार्थी-पी. सी. आई. की केंद्रीय परिषद ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्थगन की सिफारिश की।वह प्रस्तुत करते हैं कि यह एक ऐसी स्थिति को रोकने के लिए किया गया था जिससे फार्मेसी कॉलेजों का अनियंत्रित विकास होगा, जिसके परिणामस्वरूप कई फार्मासिस्ट पैदा होंगे, जिनके पास कोई रोजगार नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन कारकों को उच्च न्यायालयों द्वारा विवादित निर्णयों में ध्यान में नहीं रखा गया है।

सी.

डी.

8. श्री मनिंदर सिंह ने आगे कहा कि भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 22 अप्रैल 2022 के संचार के अवलोकन से पता चलेगा कि केंद्र सरकार से उक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत आवश्यकतानुसार परामर्श किया गया था।

ई.

9. श्री मनिंदर सिंह ने आगे कहा कि विनियमन की शक्ति में निषेध करने की शक्ति भी शामिल होगी।वह निर्णयों पर निर्भर करता है

मध्य भारत कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड बनाम मध्य भारत कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड के मामले में यह न्यायालय।भारत संघ और अन्य **1** और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के मामले में और

एफ.

इस संबंध में अन्य **2**।**10.** श्री मनिंदर सिंह आगे प्रस्तुत करेंगे कि बॉम्बे उच्च न्यायालय**,** औरंगाबाद पीठ की एक खंड पीठ**,** रिट याचिकाओं के एक समूह में **2020** की रिट याचिका संख्या **4919 (**सयाली चैरिटेबल ट्रस्ट कॉलेज**)** है।

फार्मेसी बनाम। भारतीय फार्मेसी परिषद ने **6** तारीख को निर्णय लिया

जी.

नवंबर 2020) ने संबंधित मामलों के साथ अधिस्थगन को बरकरार रखा है।उन्होंने कहा कि हालांकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय के उक्त फैसले पर कर्नाटक, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के तीनों उच्च न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया है।

1 AIR 1954 SC 634 2 (2019) 2 SCC 104 A

एच.

71

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

11. श्री मनिंदर सिंह प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अधिनियम की योजना और उसमें प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित करना होगा कि यह न केवल पी. सी. आई. का अधिकार क्षेत्र है, बल्कि यह उसका कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह एक स्थगन लागू करे ताकि देश में फार्मेसी कॉलेजों के बढ़ते विकास को रोका जा सके।विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस तरह के नियमों को लागू करने की शक्ति को बरकरार रखा गया है

बी.

इस न्यायालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव बनाम संगम लक्ष्मी बाई विद्यापीठ और अन्य 3.

वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मामले में तथ्य और मामले में तथ्य

जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव (ऊपर) हैं -

पूरी तरह से समान।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तीनों उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अपास्त करनाने योग्य है और यह अभिनिर्धारित करने की आवश्यकता है कि व्यापक सार्वजनिक हित में लगाया गया स्थगन कानूनी और वैध है।

सी.

12. श्री मनिंदर सिंह इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं

जिज्ञासा यादव (नाबालिग) (संरक्षक/पिता हरि सिंह के माध्यम से) बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य 4 का मामला

डी.

उनका निवेदन कि स्थगन अपीलार्थी-पी. सी. आई. के प्रस्ताव द्वारा भी लगाया जा सकता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार एक कानून होगा।

13. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने प्रस्तुत विद्वान कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना प्रत्यर्थी - संस्थानों का मौलिक अधिकार है।वह इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करता है

ई.

टी. एम. ए. के मामले पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य **5,** इस्लामी शिक्षा अकादमी और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य **6,** और पी. ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **7** उस संबंध में।

एफ.

14. श्री राकेश द्विवेदी प्रस्तुत करते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।हालाँकि, यह स्थापित करने का भार राज्य पर है कि इस प्रकार लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ उनका संबंध है।वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी-पी. सी. आई. उक्त कार्य को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहा है।

जी.

3 (2019) 17 एससीसी 729 4 (2021) 7 एससीसी 535

5 (2002) 8 एससीसी 481 [पैरा 18 से 25] 6 (2003) 6 एससीसी 697 [पैरा 120] 7 (2005) 6 एससीसी 537 [पैरा 92]

एच.

बोझ।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिबंध, जो पूर्ण निषेध की प्रकृति में है, पूरी तरह से अनुचित, मनमाना और भेदभावपूर्ण है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है।

15. श्री राकेश द्विवेदी आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी-पी. सी. आई. के विवादित संचार मनमाने हैं।श्री राकेश द्विवेदी ने कहा कि अपीलकर्ता-पी. सी. आई. के विवादित संचार मनमाने हैं और अपीलकर्ता-पी. सी. आई. ने खुद सरकारी कॉलेजों को लगाए गए अधिस्थगन से छूट दी

है, जिससे प्रभावी रूप से फार्मेसी के क्षेत्र में लगभग 34000 सीटें बढ़ गई हैं।वह आगे प्रस्तुत करता है कि विवादित संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र को इसके संचालन से छूट देता है।इस प्रकार, शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से मनमाने तरीके से किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एकमात्र औचित्य यह दिया गया है कि यदि कोई स्थगन नहीं है, तो यह बेरोजगारी की ओर ले जाएगा।वह प्रस्तुत करते हैं कि यदि इस तरह के आधार को स्वीकार किया जाना है, तो चिकित्सा, कानून, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कॉलेजों पर प्रतिबंध लगाना होगा।

बी.

सी.

डी.

16. श्री राकेश द्विवेदी ने आगे कहा कि जब तक कानून में प्रतिबंध लगाने की शक्ति विशेष रूप से प्रदान नहीं की जाती है, तब तक इस तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।किसी भी मामले में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना था, तो इसका उपयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार एक विनियमन तैयार करके ही किया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के विनियमन के वैध होने के लिए, निम्नलिखित चार कारकों का पालन करने की आवश्यकता हैः

ई.

(i) मसौदा विनियमों की प्रतियां केंद्रीय परिषद द्वारा सभी राज्य सरकारों को प्रस्तुत की जानी चाहिए और केंद्रीय परिषद द्वारा अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को शिक्षा विनियम प्रस्तुत करने से पहले, राज्य सरकारों की टिप्पणियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए।

एफ.

((ख**)** ऐसे विनियमों को केंद्र सरकार की मंजूरी होनी चाहिए।

((ग**)** धारा **10 (4)** को ध्यान में रखते हुए ऐसे विनियमों को राजपत्र में प्रकाशित करना होगा।

जी.

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (4) को ध्यान में रखते हुए, ऐसे विनियमों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।17. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के अवलोकन से पता चलेगा कि केंद्रीय परिषद ए

एच.

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

अपीलार्थी-पी. सी. आई. में अनिवार्य रूप से ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो फार्मेसी के अभ्यास से जुड़े होते हैं।वह प्रस्तुत करता है कि स्थगन उन व्यक्तियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से लगाया गया है जो पहले से ही फार्मेसी के पेशे से जुड़े हुए हैं ताकि इस क्षेत्र में एकाधिकार पैदा किया जा सके।वे प्रस्तुत करते हैं कि यदि उक्त अधिनियम के तहत अपीलार्थी की केंद्रीय परिषद-पीसीआई की संरचना की तुलना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (इसके बाद "एआईसीटीई अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत परिषद की संरचना के साथ की जाती है, तो यह पता चलेगा कि एआईसीटीई अधिनियम के तहत परिषद के पास एक व्यापक स्पेक्ट्रम है।इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो तकनीकी शिक्षा से जुड़े नहीं हैं।

बी.

18. श्री नवारे ने आगे कहा कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 10 के तहत शक्तियां उक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत केंद्रीय परिषद की शक्तियों की तुलना में बहुत अधिक हैं।

सी.

19. श्री नवारे ने आगे कहा कि राज्य सरकार को भेजा गया प्रस्ताव केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन नहीं है।

डी.

20. वी**.** टी**.** के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए।

खानजोद और अन्य बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य **8,** श्री

नवारे प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि अपीलकर्ता-पी. सी. आई. एक सांविधिक निकाय है, इसलिए इसकी शक्तियां सांविधिक प्रावधानों द्वारा सीमित की जाएंगी।उन्होंने कहा कि चूंकि उक्त अधिनियम के तहत निषेध लागू करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, इसलिए इस तरह की कवायद कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

ई.

21. उन्होंने आगे कहा कि विधायिका द्वारा अधिनियमित एक वैध कानून के अलावा मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है।इस संबंध में, वह आधुनिक के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है

एफ.

स्कूल बनाम भारत संघ और अन्य **9.**

22. श्री नवारे आगे प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) में उपयोग किए गए शब्द "केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन हैं"।इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि जब तक स्थगन के संबंध में केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं है, तब तक यह कानून में मान्य नहीं होगा।वह इस न्यायालय के फैसलों पर निर्भर है।

जी.

पडुबिद्री दामोदर शेनॉय बनाम इंडियन एयरलाइंस के मामलों में

8 (1982) 2 एससीसी 7 9 (2004) 5 एससीसी 583

एच.

लिमिटेड और अन्य **10,** और विजय एस**.** साथाये बनाम इंडियन एयरलाइंस

लिमिटेड और अन्य 11 इस प्रस्ताव के समर्थन में।23. विद्वान अधिवक्ता श्री अमित पाई ने यह भी प्रस्तुत किया कि विवादित संचार पूरी तरह से अपीलार्थी-पी. सी. आई. की शक्तियों से परे हैं और इस तरह, उच्च न्यायालयों के विवादित निर्णयों और आदेशों में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

बी.

24. विद्वान अधिवक्ता श्री संजय शरावत ने कहा कि स्थगन लगाने का निर्णय अपीलार्थी-पी. सी. आई. द्वारा बिना कोई सर्वेक्षण किए लिया गया है।इसके निर्णय के समर्थन में कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है।वह प्रस्तुत करता है कि स्थगन लागू करने का निर्णय पूरी तरह से मनमाना है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी-पी. सी. आई. ने मनमाने तरीके से काम किया है।एक तरफ इसने प्रतिबंध लगा दिया है तो दूसरी तरफ लगभग 2500 संस्थानों को फार्मेसी पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे दी है।इस तरह, इसने पूरी तरह से मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया है।

सी.

25. विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा कि विवादित संचार पूरी तरह से भेदभावपूर्ण प्रकृति के हैं और मौजूदा कॉलेजों के संबंध में एकाधिकार पैदा करने की प्रवृत्ति रखते हैं क्योंकि उन्हें मौजूदा सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी गई है।उन्होंने आगे कहा कि सभी राज्यों के लिए लगाए गए 50 कॉलेजों की सीमा पूरी तरह से मनमाना है।वह प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे अत्यधिक आबादी वाले राज्य और गोवा जैसे छोटे राज्य के लिए सीमा समान है।वे प्रस्तुत करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 7 कॉलेजों को इस आधार पर अनुमति दी गई है कि वे

पाइपलाइन में थे।इस प्रकार, अपीलार्थी-पी. सी. आई. की नीति में कोई एकरूपता नहीं है। वह निर्णयों पर निर्भर करता है

डी.

ई.

सूचकांक चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य और समर्थन में अन्य 12 के मामले में इस न्यायालय का

एफ.

उसके समर्पण से।26. आधुनिक के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और अन्य बनाम मध्य राज्य

प्रदेश और अन्य 13, वे प्रस्तुत करते हैं कि जब तक विवादित प्रतिबंध प्रतिबंधों की आनुपातिकता की कसौटी को संतुष्ट नहीं करते हैं, तब तक यह कानून में मान्य नहीं होगा।वह प्रस्तुत करता है कि यह पता लगाना आवश्यक होगा कि

जी.

10 (2009) 10 एससीसी 514 11 (2013) 10 एससीसी 253

12 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 318 13 (2016) 7 एस. सी. सी. 353 ए

एच.

75

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

क्या संवैधानिक अधिकारों पर सीमा एक ऐसे उद्देश्य के लिए है जो एक लोकतांत्रिक समाज में उचित और आवश्यक है।वह प्रस्तुत करता है कि उक्त परीक्षण को लागू करते हुए, पांच साल की अवधि के लिए कुल प्रतिबंध लगाने वाला विवादित संचार आनुपातिकता परीक्षण में खड़ा नहीं होता है।

27. विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम सिंह ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित है। उन्होंने कहा कि महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि बड़ी संख्या में फार्मेसी कॉलेजों की आवश्यकता है।हालाँकि, अपीलार्थी-पी. सी. आई. द्वारा इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

बी.

28. तीनों उच्च न्यायालयों, अर्थात कर्नाटक, दिल्ली और छत्तीसगढ़ ने प्रत्यर्थी-संस्थानों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए और अपीलार्थी-पी. सी. आई. की केंद्रीय परिषद के प्रस्तावों/संचारों को रद्द करते हुए संक्षेप में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया हैः

सी.

(i) कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है;

डी.

((ii) कि ऐसे अधिकार पर उचित प्रतिबंध हो सकते हैं।हालांकि, इस तरह का प्रतिबंध केवल सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा लगाया जा सकता है।

ई.

(iii) 17 जुलाई 2019 का प्रस्ताव/संचार, जिसके अनुसार स्थगन लगाया गया था, एक कार्यकारी निर्देश है और इसे एक कानून के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए, एक कार्यकारी निर्देश द्वारा लगाया गया स्थगन कानून में टिकाऊ नहीं है।

एफ.

29. इसके अलावा, कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे पाया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता प्रतिज्ञात्मक बहिष्कार और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों पर महाविद्यालय स्थापित करने के हकदार थे।कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी माना है कि अपीलकर्ता-पी. सी. आई. का प्रस्ताव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था क्योंकि सरकारी संस्थानों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्थानों को स्थगन की प्रयोज्यता से छूट दी गई थी।यह पाया गया कि इस तरह का कार्य भेदभावपूर्ण था।यह भी पाया गया कि प्रति राज्य 50 दवा संस्थानों की सीमा भी मनमाना थी क्योंकि अपीलकर्ता-पी. सी. आई.

जी.

एच.

इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि राज्यों की जनसंख्या राज्य से राज्य में भिन्न होती है और इस प्रकार, प्रत्येक राज्य के लिए 50 फार्मेसी संस्थानों को सीमित करने का एक समान

सूत्र नहीं हो सकता था।30. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी-पी. सी. आई. की केंद्रीय परिषद ने अपने 17 जुलाई 2019 के संकल्प/संचार के माध्यम से निम्नानुसार समाधान किया हैः

बी.

" समाधान

पर्याप्त योग्य फार्मासिस्ट कार्यबल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, सदन ने सर्वसम्मति से शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ-साथ डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक लगाने का संकल्प लिया।यह रोक देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू नहीं होगी जहां फार्मेसी कॉलेजों की कमी है।"31. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसार, केंद्रीय परिषद ने शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ-साथ डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक लगाने का संकल्प लिया है।17 जुलाई 2019 के उक्त प्रस्ताव को 5 और 6 अगस्त 2019 को आयोजित अपीलार्थी-पी. सी. आई. की केंद्रीय परिषद की 107 वीं बैठक में संशोधित किया गया था।संशोधित संकल्प का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

सी.

डी.

ई.

" 1252.4 इसे ध्यान में रखते हुए, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ-साथ डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी -

एफ.

क) यह रोक सरकारी संस्थानों पर लागू नहीं होगी।

ख) यह रोक पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्थानों पर लागू नहीं होगी।

जी.

ग) यह रोक उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होगी जहां डी. फार्म और बी. फार्म संस्थानों (दोनों संयुक्त रूप से) की संख्या 50 से कम है।

घ) वे संस्थान जिन्होंने 2019-ए के लिए डी. फार्म और/या बी. फार्म कॉलेज खोलने के लिए आवेदन किया था।

एच.

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

20 पी. सी. आई. या ए. आई. सी. टी. ई. के लिए शैक्षणिक सत्र और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था या किसी कारण से निरीक्षण नहीं किया गया था या दूसरे को 2020-21 शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी और यह छूट केवल एक वर्ष के लिए यानी 2020-21 शैक्षणिक सत्र के लिए दी जाती है।

बी.

ङ) मौजूदा अनुमोदित फार्मेसी संस्थानों को पीसीआई मानदंडों के अनुसार सेवन क्षमता में वृद्धि और/या अतिरिक्त फार्मेसी पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रम) शुरू करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।"

सी.

32. इस प्रकार यह स्पष्ट है, और पूरी निष्पक्षता में, अपीलार्थी-पी. सी. आई. द्वारा भी विवादित नहीं है, कि अधिस्थगन अपीलार्थी-पी. सी. आई. की केंद्रीय परिषद द्वारा अपनी कार्यकारी शक्तियों में जारी किया गया था, न कि किसी विनियमन को तैयार करके, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 10 और 18 के तहत प्रदान किया गया है। 33.इसलिए, जिस विवादास्पद प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी-पी. सी. आई. की केंद्रीय परिषद द्वारा लगाई गई रोक, उक्त प्रस्ताव द्वारा लगाई जा सकती थी, जो केंद्रीय परिषद के कार्यकारी निर्देश की प्रकृति में है।

डी.

34. निम्नलिखित मामलों में इस न्यायालय की 11 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा -

ई.

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर):

"18. शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के संबंध में संविधान के तीन अनुच्छेद लागू होते हैं। अनुच्छेद 19 (1) (जी) सभी नागरिकों को किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार देता है; यह अधिकार उन प्रतिबंधों के अधीन है जो अनुच्छेद 19 (6) के तहत रखे जा सकते हैं।अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक संस्था की स्थापना और रखरखाव का अधिकार देता है, जिसमें एक शैक्षणिक संस्थान शामिल होगा।इसलिए अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 26 सभी नागरिकों और धार्मिक संप्रदायों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार प्रदान करते हैं।"

एफ.

जी.

35. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उपरोक्त मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 26 को देखते हुए सभी नागरिकों और धार्मिक संप्रदायों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार प्रदान किया गया है।

एच.

36. पाँच न्यायाधीशों की एक अन्य संविधान पीठ

इस्लामी शिक्षा अकादमी (ऊपर) के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है

इस प्रकारः

“120. जहाँ तक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों का संबंध है, वे जनहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के स्तर में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।उस हद तक, कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 30 दोनों के संदर्भ में प्रतिबंध लगाने और विनियम बनाने का अधिकार होगा। बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के अधिकारों और उनकी सीमाओं का विस्तार उत्कृष्टता के रखरखाव के अनुरूप होना चाहिए।उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निर्विवाद रूप से, राज्य द्वारा विनियम बनाए जा सकते हैं।

बी.

सी.

121. प्रशासन का अधिकार कुशासन के अधिकार के बराबर नहीं है और अधिकार विनियमन से मुक्त नहीं है।सुव्यवस्थित, कुशल और सुदृढ़ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपाय आवश्यक हैं।अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन में राज्य द्वारा विनियामक उपाय निर्धारित किए जा सकते हैं।”37. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस्लामी शिक्षा अकादमी (उपरोक्त) की संविधान पीठ का मानना है कि राज्य को शिक्षा के स्तर में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 30 दोनों के संदर्भ में प्रतिबंध

लगाने और विनियम बनाने का अधिकार होगा।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सुव्यवस्थित, कुशल और सुदृढ़ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय आवश्यक हैं।

डी.

ई.

38. इसके बाद पी. ए. इनामदार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी कीः“92. एक व्यवसाय के रूप में, शिक्षा प्रदान करने का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसलिए, अनुच्छेद 19 के खंड (6) द्वारा नियंत्रण के अधीन है।यह अधिकार अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक के बीच भेद किए बिना सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है।ऐसा अधिकार, आम तौर पर, आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के अधीन है।विशेष रूप से, निम्नलिखित विषयों पर कानून बनाए जा सकते हैंः(i) किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता; (ii)

एफ.

जी.

एच.

79

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

राज्य द्वारा, या किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा के राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम द्वारा, चाहे नागरिकों के अपवर्जन के लिए, पूर्ण या आंशिक रूप से या अन्यथा। अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के उनके अधिकार की रक्षा करके अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई, का ध्यान रखा जाता है।कुछ हद तक, अनुच्छेद 19 (6) के तहत प्रतिबंध के रूप में जो अनुमत हो सकता है वह अनुच्छेद 30 का उल्लंघन हो सकता है।यह वह अतिरिक्त सुरक्षा है जो अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को प्रदान करता है।”

बी.

39. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि पी. ए. इनामदार (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने फिर से दोहराया है कि शिक्षा प्रदान करने का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसलिए, अनुच्छेद 19 के खंड (6) द्वारा नियंत्रण के अधीन है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा अधिकार आम जनता के हित में उचित

प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के अधीन है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता निर्धारित करने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं।कानून राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व वाले या नियंत्रित किसी निगम द्वारा किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को चलाने के उद्देश्यों के लिए भी अधिनियमित किए जा सकते हैं, चाहे वह नागरिकों के अपवर्जन के लिए हो, पूर्ण या आंशिक या अन्यथा।

सी.

डी.

40. आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के मामले में

(ऊपर), इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, लेकिन जनहित को संतुलित करने के लिए, राज्य को आम जनता के हित में विनियम बनाने का भी अधिकार है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आम जनता के हित में लाए जाने वाले उचित प्रतिबंधों के दायरे पर विचार करते हुए, जो अभ्यास किया जाना आवश्यक है, वह एक ओर व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने के मौलिक अधिकारों और दूसरी ओर इस तरह लगाए गए प्रतिबंधों का संतुलन है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह पता लगाना आवश्यक था कि इस प्रकार लगाए गए प्रतिबंध आनुपातिक थे या नहीं।

ई.

एफ.

जी.

41. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का एक मौलिक अधिकार है, लेकिन वे उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं, जो आम जनहित में आवश्यक पाए जाते हैं। हालांकि, जिस सवाल का जवाब देने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या ऐसा कार्यकारी निर्देशों द्वारा किया जा सकता है या नहीं।

एच.

42. इस प्रश्न का उत्तर इस न्यायालय द्वारा सीधे तौर पर दिया जाता है

बिहार राज्य और अन्य बनाम परियोजना उच्च विद्या, शिक्षक संघ

और पैराग्राफ 69 में अन्य 14, जो इस प्रकार हैः“69. किसी संस्थान के प्रबंधन का अधिकार भी संपत्ति का अधिकार है।इस न्यायालय की ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को देखते हुए

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य [(2002) 8 एस. सी. सी.

बी.

481] किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रबंधन को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत परिकल्पित व्यवसाय का अधिकार होने के कारण मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना गया है।

कानून के अनुसार के अलावा किसी नागरिक को उक्त अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।संविधान के अनुच्छेद **19** के खंड **(6)** के उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता को संविधान के अनुच्छेद **162** के संदर्भ में एक परिपत्र या नीतिगत निर्णय जारी करके या अन्यथा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।ऐसा कानून, जो साधारण है, विधायिका द्वारा अधिनियमित होना चाहिए।”

सी.

[जोर दिया गया]43. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि किसी नागरिक को कानून के अनुसार के अलावा उक्त अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) के प्रयोजन के लिए कानून की आवश्यकता को संविधान के अनुच्छेद 162 के संदर्भ में एक परिपत्र या नीतिगत निर्णय जारी करके या अन्यथा कल्पना के किसी भी विस्तार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा कानून विधायिका द्वारा अधिनियमित होना चाहिए।

डी.

ई.

44. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह ने जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि उक्त मामले में भी तेलंगाना राज्य द्वारा लगाई गई रोक को वैध पाया गया क्योंकि यह शैक्षणिक संस्थानों के बढ़ते विकास को नियंत्रित करने के लिए विद्वान गया था।

एफ.

45. के मामले में इस न्यायालय के फैसले का अवलोकन

जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव (उपरोक्त)

जी.

यह पता चलता है कि इस न्यायालय ने पाया कि तेलंगाना शिक्षा अधिनियम, 1982 की धारा 20 ने विशेष रूप से राज्य को स्थगन लागू करने के लिए इस तरह का निर्देश जारी करने का अधिकार दिया है।उक्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया जा सकता है, जो केंद्रीय परिषद के प्रस्ताव द्वारा लगाए जाने वाले ऐसे प्रतिबंध को सशक्त बनाए।

14 (2006) 2 एससीसी 545 ए

एच.

81

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

46. इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ की निम्नलिखित टिप्पणी का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा।

एम. पी. राज्य बनामठाकुर भरत सिंह 15:

“इन तथ्यों के आलोक में जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है, वे इस तर्क का समर्थन नहीं करते हैं कि राज्य या उसके अधिकारी कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करके नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन केवल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि राज्य के विधानमंडल के पास उस विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जिस पर कार्यकारी आदेश जारी किया जाता है।”

बी.

47. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय की संविधान पीठ का मानना है कि राज्य या उसके अधिकारी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अपने कार्यकारी अधिकार का प्रयोग केवल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि राज्य के विधानमंडल के पास उस विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जिस पर कार्यकारी आदेश जारी किया जाता है।

सी.

48. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संविधान पीठ का मानना है कि एक कार्यपालिका भी कार्यकारी कार्रवाई द्वारा नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए कुछ नहीं कर सकती है, हालांकि राज्य विधानमंडल के पास इस विषय पर कानून बनाने की विधायी क्षमता है।

डी.

49. श्री मनिंदर सिंह, अपीलार्थी-पी. सी. आई. की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील, इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं

जिज्ञासा यादव (नाबालिग) (संरक्षक/पिता हरि सिंह के माध्यम से) बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य (ऊपर) का मामला

ई.

उनके इस तर्क का समर्थन करते हुए कि चूंकि अपीलार्थी की केंद्रीय परिषद-पी. सी. आई. एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करती है, इसलिए इसके द्वारा हल किया गया प्रस्ताव भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर एक कानून के रूप में भाग लेगा।यह ध्यान दिया जा सकता है कि मामले में

जिज्ञासा यादव (नाबालिग) (संरक्षक/पिता हरि सिंह के माध्यम से) बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य (ऊपर), यह

एफ.

न्यायालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (संक्षेप में "सी. बी. एस. ई".) की शक्तियों पर विचार कर रहा था, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक संस्था है।सी. बी. एस. ई. किसी भी वैधानिक प्रावधान के तहत निगमित निकाय नहीं है।हालाँकि, अपीलार्थी की केंद्रीय परिषद-पी. सी. आई. उक्त अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।

जी.

50. इस न्यायालय की टिप्पणियों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा

श्रीमती हीरा देवी और अन्य बनाम जिला बोर्ड का मामला,

शाहजहांपुर **16,** जो इस प्रकार हैः

15 (1967) 2 एससीआर 454 16 (1952) एससीआर 1122

एच.

“प्रतिवादी कानून द्वारा बनाए गए एक बोर्ड थे और उन्हें शक्तियों के साथ निवेश किया गया था जो आवश्यक रूप से कानून के चारों कोनों के भीतर पाए जाने थे।

51. वी. टी. खानजोदे (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 18 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः“18. इस निवेदन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता द्वारा पैरा 1326 और 1333 में निहित कानून के बयान पर भरोसा रखा जाता है।

बी.

(पी. 775 और 779) ऑफ हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड, 4 थ एडन। में।

पैरा 1326 में कहा गया है किः“निगम या तो सांविधिक या गैर-सांविधिक हो सकते हैं और दोनों वर्गों की शक्तियों और देनदारियों के बीच एक मौलिक अंतर मौजूद है।सांविधिक निगमों के पास ऐसे अधिकार होते हैं और वे ऐसे कार्य केवल वही कर सकते हैं जो उन्हें बनाने वाले कानूनों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकृत होते हैं; गैर-सांविधिक निगम, आम तौर पर, वह सब कुछ कर सकते हैं जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता है जब तक कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून द्वारा प्रतिबंधित न हो।”

सी.

डी.

पैरा 1333 कहता है किः“कानून द्वारा बनाए गए निगम की शक्तियां उन कानूनों द्वारा सीमित और सीमित होती हैं जो इसे विनियमित करती हैं, और इसमें स्पष्ट रूप से बताए गए विस्तार से आगे नहीं बढ़ती हैं, या इसके निगमन के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित रूप से आवश्यक है, या उचित रूप से उन चीजों के लिए आकस्मिक या परिणामी माना जा सकता है जिन्हें विधायिका ने अधिकृत किया है।कानून जिसे स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अधिकृत नहीं करता है, उसे निषिद्ध माना जाना चाहिए।”

ई.

एफ.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक सांविधिक निगम केवल ऐसे कार्य कर सकता है जो इसे बनाने वाले क़ानून द्वारा अधिकृत हैं और ऐसे निगम की शक्तियां क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान की गई शक्तियों से आगे नहीं बढ़ सकती हैं।यदि कोई अधिनियम न तो स्पष्ट रूप से और न ही निहित रूप से उस क़ानून द्वारा अधिकृत है जो निगम का निर्माण करता है**,** तो इसे ऐसा माना जाना चाहिए **-**

जी.

प्रतिबंधित है।हालाँकि, यह उस परिणाम को उत्पन्न नहीं कर सकता है जिसके लिए श्री नरीमन तर्क देते हैं।उनका तर्क यह नहीं है कि केंद्रीय बोर्ड के पास कर्मचारी विनियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, बल्कि यह है कि उसे केवल धारा 58 (1) के तहत ऐसा करना चाहिए।उस तर्क पर, यह ए के लिए सामग्री है

एच.

83

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ध्यान दें कि धारा 58 (1) एक सक्षम प्रावधान की प्रकृति है जिसके तहत केंद्रीय बोर्ड उन सभी मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए विनियम बना सकता है जिनके लिए अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रावधान करना आवश्यक या सुविधाजनक है। यह प्रावधान इस तर्क को सही नहीं ठहराता है कि कर्मचारियों के नियम इसके तहत बनाए जाने चाहिए या बिल्कुल नहीं।इस मामले का सार यह है कि केंद्रीय बोर्ड के पास बैंक के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है।यदि उसके पास वह शक्ति है, तो वह धारा 58 (1) के अनुसार या प्रशासन और अधीक्षण की अपनी सामान्य शक्ति के प्रयोग में उचित रूप से कार्य करके इसका प्रयोग कर सकता है।"

बी.

सी.

[जोर दिया गया]52. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने इंग्लैंड के हेल्सबरी के कानूनों के चौथे संस्करण के पैराग्राफ 1326 और 1333 (पी. 775 और 779) को इस प्रभाव से मंजूरी दी है कि एक वैधानिक निगम केवल ऐसे कार्य कर सकता है जो इसे बनाने वाले क़ानून द्वारा अधिकृत हैं और ऐसे निगम की शक्तियां क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान की गई शक्तियों से आगे नहीं बढ़ सकती हैं।यद्यपि उक्त मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि केंद्रीय बोर्ड के पास बैंक के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित विनियम बनाने की शक्ति है, उक्त सिद्धांत वास्तव में वर्तमान मामले में लागू होगा।

डी.

ई.

53. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह ने आगे कहा कि उक्त अधिनियम की प्रस्तावना में स्वयं "विनियमन" शब्द का उपयोग विद्वान गया है और "विनियमन" शब्द इसके दायरे में "निषेध" करने की शक्ति को शामिल करेगा।के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर मजबूत निर्भरता रखी गई है

स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर)।हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि

एफ.

उक्त मामले में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 36 के तहत बनाए गए दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (पता लगाने योग्य प्रणाली) विनियम, 2017 के कुछ खंडों के साथ-साथ उसी तारीख को अधिसूचित दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा (आठवां) (पता करने योग्य प्रणाली) शुल्क आदेश, 2017 को चुनौती दी गई थी।वर्तमान मामले में, जो करने की मांग की जा रही है, वह अपीलार्थी की केंद्रीय परिषद-पी. सी. आई. के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था, न कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए किसी विनियमन द्वारा। इस प्रकार, स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

जी.

एच.

54. श्री मनिंदर सिंह ने आगे सायली में बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ की खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

चैरिटेबल ट्रस्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी (ऊपर)।लेकिन जब से हम

उन्होंने अभिनिर्धारित किया है कि एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक मौलिक अधिकार है और ऐसे अधिकार पर उचित प्रतिबंध केवल एक कानून द्वारा लगाए जा सकते हैं न कि निष्पादन निर्देश द्वारा, हमारा विचार है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ की खंड पीठ, उक्त मामले में कानून की सही स्थिति निर्धारित नहीं करती है।हमारे विचार में, कर्नाटक, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून की सही स्थिति निर्धारित करता है।

बी.

सी.

55. चूंकि हमने यह माना है कि अपीलकर्ता-पी. सी. आई. की केंद्रीय परिषद के 17 जुलाई 2019 और 9 सितंबर 2019 के प्रस्ताव/संचार, जो कार्यकारी निर्देशों की प्रकृति में हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमें अन्य मुद्दों पर अग्रिम प्रस्तुतियों पर विचार करना आवश्यक नहीं लगता है।हम पाते हैं कि अपीलार्थी-पी. सी. आई. की केंद्रीय परिषद के

17 जुलाई 2019 और 9 सितंबर 2019 के प्रस्ताव/संचार इस छोटे से आधार पर निरस्त किए जाने योग्य हैं।

डी.

56. अलग होने से पहले, हम देख सकते हैं कि वास्तव में कुछ प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता हो सकती है ताकि फार्मेसी कॉलेजों के बढ़ते विकास को रोका जा सके।इस तरह के प्रतिबंध व्यापक सार्वजनिक हित में हो सकते हैं।हालांकि, अगर ऐसा करना है, तो इसे कानून के अनुसार सख्ती से करना होगा।यदि और जब ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उनकी वैधता की हमेशा कानून की कसौटी पर जांच की जा सकती है। इसलिए, हम उस ओर से किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने से बचते हैं।

ई.

एफ.

57. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि डी. फार्म और बी. फार्म पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन मांगने वाले आवेदनों के साथ राज्य सरकार से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" ("एनओसी") और संबद्ध निकायों से संबद्धता की सहमति होनी चाहिए।ऐसे आवेदनों की जांच करते समय, परिषद ऐसे आवेदनों को अनुमति देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले हमेशा विभिन्न कारकों पर विचार कर सकती है।केवल इसलिए कि किसी संस्थान को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए। किसी विशेष क्षेत्र में, यदि पहले से ही पर्याप्त संख्या में संस्थान मौजूद हैं, तो केंद्रीय परिषद हमेशा इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या यह आवश्यक है

जी.

एच.

या ऐसे क्षेत्र में संस्थानों की संख्या में वृद्धि नहीं करना।हालांकि, एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा फार्मेसी कॉलेजों की स्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

58. नतीजतन, भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

59. संस्थानों द्वारा दायर रिट याचिकाओं का उपरोक्त संदर्भों में निपटारा किया जाएगा।

60. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

2022 की विशेष छूट याचिका **(**नागरिक**) NO.1887** से बाहर नागरिक अपील **[**शाहीद तेग बहादुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी बनाम भारत की फार्मेसी परिषद**]**

सी.

61. शहीद तेग बहादुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी द्वारा दायर अपील में 2021 की रिट याचिका (सिविल) No.175 में 2021 के सीएम आवेदन संख्या 41337 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 23 दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी गई है।

डी.

62. 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.19671 और संबंधित मामलों से उत्पन्न सिविल अपील में इस न्यायालय द्वारा आज पारित निर्णय को देखते हुए, इस अपील को निष्फल बना दिया गया है और इस तरह से निपटाया गया है।हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

ई.

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एफ.

जी.

एच.